आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित

31.10.2020

न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू (राँची)।

धारा–बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 की धारा–7 के तहत

दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–79/2020–21

संजय कुमार शर्मा..आवेदक

बनाम

झारखण्ड सरकार..विपक्षी।

आदेश

प्रस्तुत वाद में अपीलार्थी–संजय शर्मा, पिता–स्व० दुर्गा प्रसाद शर्मा, सा०–थाना रोड पो०+थाना–बुण्डू, जिला–राँची ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अंचलाधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–405 R27/2018-2019/बुण्डू में दिनांक–18.05.2019 को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील दायर किया है। जिसके द्वारा निम्नलिखित भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया गया।

भूमि विवरणी

मौजा	थाना	थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा
बुण्डू	बुण्डू	28	1112	82	12 डीसमील

चौहदीः–उ०–अंजू जयसवाल, द०–प्रस्तावित रास्ता,
पू०–प्लॉट नं०–82 का भाग, प०–हाल खरीदार रीना देवी।

अपीलार्थी की ओर से दायर अपील आवेदन पर सुनवाई हेतु इस अपील वाद को ग्रहण किया गया। अपीलार्थी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता के कथनानुसार उपरोक्त भूमि का नामांतरण आवेदन के साथ उल्लेखित इस्तीफानामा तथा न्यायालय द्वारा पारित आदेश की सत्यापित प्रति संलग्न नहीं होने के कारण अंचल अधिकारी, बुण्डू के द्वारा उक्त नामांतरण आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया। जबकि आवेदक को सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया। अतः अनुरोध है कि उपरोक्त भूमि का दाखिल खारिज अपील वाद को स्वीकृत कर अंचल अधिकारी, बुण्डू को उक्त भूमि का दाखिल खारिज करने का आदेश देने की कृपा की जाए।

अपीलार्थी द्वारा इस वाद में समर्पित निम्न न्यायालय के नामांतरण मुकदमा सं०–405 R27/2018-2019/बुण्डू का अस्वीकृति की सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। जिसमें राजस्व कर्मचारी के मंतव्यानुसार–खतियान के अनुसार आवेदित भूमि आदिवासियों से संबंधित है. खतियानी रैयत बिरसा उरांव ने आवेदित भूमि को रजिस्ट्री पट्टा नं.378 दि.13.12.1929 के द्वारा भूतपूर्व जमींदार कालू खंडित वोगैरह को इस्तीफा दे दिये. इस्तीफा प्राप्त करने के पश्चात भूतपूर्व जमींदार कालू खंडित वोगैरह ने आवेदित भूमि को नेतो कुम्हार वो बाढ़ो कुम्हार को बंदोबस्त कर दिये. आवेदित भूमि को लेकर नेतो कुम्हार के वंशज पंचानन प्रजापति वोगैरह एवं खतियानी रैयत बिरसा उरांव के वंशज धोबिया उरांव के बीच मुंसिफ खूंटी, रांची के न्यायालय में टाइटल सूट वाद चला जिसका वाद सं.त.स.12/1999 है. जिसमें पंचानन प्रजापति वोगैरह के पक्ष में आदेश प्राप्त हुई. पंजी ।। में पंचानन प्रजापति वोगैरह के नाम से जमाबंदी कायम है. विक्रेता पंजी।। रैयत स्वंय है. आवेदित भूमि पर आवेदक दखलकार है. अतः नामांतरण की स्वीकृति दी जा सकती है। जबकि अंचल अधिकारी, बुण्डू के प्रतिवेदनानुसार नामांतरण हेतु आवेदित भूमि आदिवासी खाते से संबंधित है एवं नामांतरण आवेदन के साथ उल्लेखित इस्तीफानामा तथा न्यायालय द्वारा पारित आदेश की सत्यापित प्रति संलगन नहीं है। इसी आधार पर अंचलाधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण वाद अस्वीकृत की गयी है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा उनके द्वारा दाखिल किए गए दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है एवं अंचलाधिकारी, बुण्डू द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए उन्हें इस निदेश के साथ प्रतिप्रेषित (REMAND) किया जाता है कि अपीलार्थी से वांछित दस्तावेज प्राप्त करते हुए नए सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे।

निम्न न्यायालय को इस आदेश की प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

ह०/- 31/10 ह०/- 31/10

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।